

विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिए। –रोबिन शर्मा

राष्ट्रपति के प्रश्न तीन के उत्तर में संविधान पीठ ने माना कि राज्यपाल का function justiciable mandamus नहीं है फिर Mandamus जारी करने के निदेशन से कोर्ट स्वयं ही संकट में आ सकती है

कुछ दिनों पूर्व तमिलनाडु राज्य की सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की खण्डपीठ ने अपने निर्णय में यह राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिये विधेयकों (बिलों) पर निर्णय लेने की सीमा तय की थी। संविधान के सम्बन्धित प्रावधानों में समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। अतः संविधान के अनुच्छेद 200 व 201 की सही व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न हुआ। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 कानूनी बिन्दुओं पर राय मांगी। मूल प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में माना कि राष्ट्रपति राज्यपाल के लिये बिलों पर निर्णय की सीमा नहीं है।

भारत के संविधान में राष्ट्रपति व राज्यपाल की नियुक्ति के प्रावधान भिन्न हैं। प्रारम्भ में ऐसा कहा जाता था कि ये दोनों ही संवैधानिक प्रमुख रबर स्टाम्प की तरह अपना काम करेंगे; किन्तु समय ने यह सिखा दिया कि ऐसा सोचना सही नहीं था। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 54 एवं 55 की प्रक्रिया के अनुसार चुना जाता है और राज्यपाल (गवर्नर) की नियुक्ति अनुच्छेद 155 की प्रक्रिया से राष्ट्रपति करते हैं। दोनों ही संवैधानिक प्रमुखों को कार्यपालिका व विधायिका के अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 154, 161, 163 व 166 उन्हें कार्यपालिका के अधिकार देते हैं और अनुच्छेद 168, 158, 200, 201, 213 व अनुच्छेद 174 उन्हें विधायिकका के अधिकार देते हैं। जजों की संविधान पीठ ने अर्थात् सीजेआई गवर्इ, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस चंद्रकर व जस्टिस नरसिम्हा ने अपनी राय एक सुरू में दी है। अनुच्छेद 200 की जो विशद व्याख्या की गई है वह अद्भुत व प्रशंसनीय है। सोलोसिटर जनरल तुषार मेहता के शब्दों में वह ज्ञानवर्धक है और वरिष्ठ अधिवक्ता कपित सिब्बल ने निर्णय को विवेकपूर्ण व विचारशील बताया।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह माना कि कोर्ट संविधान के आर्टिकल 200 व 201 के तहत राज्यपाल व राष्ट्रपति को विधयेक पर निर्णय लेने के लिये कोई समय सीमा तय नहीं कर सकती। इस प्रकार संविधान पीठ ने यह माना कि खण्डपीठ का निर्णय दिनांक 08 अप्रेल, 2025

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह माना कि कोर्ट संविधान के आर्टिकल 200 व 201 के तहत राज्यपाल व राष्ट्रपति को विधयेक पर निर्णय लेने के लिये कोई समय सीमा तय नहीं कर सकती

राज्यपाल के पास तीन संवैधानिक विकल्प हैं वे मंजूरी दें, राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखें या पुनः विचार के लिये टिप्पणी के साथ विधान मण्डल को लौटा दें। उनके पास बिल रोकने का विकल्प नहीं है। प्रश्न 2 के उत्तर में संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद में ऐसी कोई बाध्‍यता नहीं है कि राज्यपाल मंत्री परिषद से सला लेवें। प्रश्न 3 के उत्तर में संविधान पीठ ने कहा कि राज्यपाल के विवेक प्रयोग की समीक्षा न्यायपालिका नहीं कर सकती; किन्तु संविधान पीठ ने इस मत की अभिव्यक्ति करते हुये भी यह कह दिया कि यदि लम्बे समय तक, अस्पष्ट निर्णय या अनिश्चित काल तक निर्णय या अनिश्चित काल तक निर्णय न लेने पर कोर्ट विचार कर अपना निर्देश दे सकती है। संविधान पीठ ने अपने निर्णय (राय) दिनांक 20.11.2025 के पेरा 165 में उपरोक्त कथन को निम्नलिखित रूप से इस प्रकार स्पष्ट किया है :-

“165.3: The discharge of the Governor’s function under Article 200, is not justiciable. The Court cannot enter into a merits review of the decision so taken. However, in glaring circumstances of inaction that is prolonged, unexplained, and indefinite — the Court can issue a limited mandamus for the Governor to discharge his function under Article 200 within a reasonable time period, without making any observations on the merits of the exercise of his discretion.”

संविधान पीठ ने एक ओर तो विधेयकों पर राज्यपाल से समय सीमा पर मंजूरी प्राप्त न होने पर स्वतः मंजूरी (Deemed Assent) की संविधान की भावना के विपरीत और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त के विरुद्ध माना है। दूसरी ओर उपरोक्त पेरा 165.3 में जो भावना अभिव्यक्त की है वह प्रश्न एक के उत्तर पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। सब कुछ कहने और स्पष्ट करने पर भी मूल प्रश्न का उत्तर अनुत्तरित ही दिखाई देता है, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख कोर्ट की अनिश्चितकाल अथवा अस्पष्ट बात वाली सलाह पर कोई कदम नहीं उठाते हैं तो फिर क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का निर्णय स्पष्ट करता है कि बिल के कानून बन जाने के बाद judicial Adjudication के सिद्धान्त लागू होते हैं, इससे पूर्व राज्यपाल के विवेकपूर्ण निर्णयों पर कोर्ट का दखल स्वीकार नहीं किया गया है। अनुच्छेद 200 व 201 के प्रावधानों की जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की है वह सप्रसन्न में ज्ञानवर्धक है, और स्पष्ट करती है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को केवल वे विकल्प प्राप्त हैं जिनका उल्लेख प्रश्न 1 के उत्तर में दिया गया है। समय यथा या deemed asscnt का सिद्धान्त अनुच्छेद 200 की शब्दावली में संशोधन करना होगा, जो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के प्रयोग के बिना नहीं हो सकता।

सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के द्वारा राष्ट्रपति पर पूछे गये प्रश्नों के उत्तर के बाद, अब केवल यह विकल्प कार्यपालिका के पास है कि संविधान में यशोचित संशोधन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अनुसार शीघ्र ही किया जावे और इस उलझी हुई स्थिति से देश को मुक्ति दिलाई जावे। जनहित व देशहित में यह सही रास्ता है।

हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था में केन्द्र में केन्द्रीय सरकार है और राज्यों में राज्य की सरकारें। हम एक लोकतान्त्रिक गणराज्य हैं। केन्द्र और राज्यों में अलग–2 राजनीतिक पार्टियों की सरकारें शासन का संचालन करती हैं। ऐसी स्थिति में केन्द्र व राज्य सरकारों की जिम्मेदारी अधिक होती है। इनमें सन्तुलन बनाये रखना आवश्यक है। हमारे संवैधानिक प्रमुख जैसे प्रेसीडेन्ट व गवर्नर केवल मात्र शोभा के पात्र अथवा रबर स्टाम्प मात्र नहीं हैं। उनकी भूमिका का अपना ही महत्व है उन्हें विवेक व संतुलन के आधार पर अपना कर्त्तव्य पालन करना होता है तथा अपनी शपथ के अनुसार संविधान की रक्षा करना है, उसकी पालना करना है। संविधान पीठ ने संवैधानिक प्रमुखों की स्वतंत्रता का अक्षुण्णता प्रदान की है। केन्द्र और राज्य में विभिन्न राजनीतिक मतवालगुम्वियों की सरकारों में आपसी टकराव देखने को मिल रहे हैं, उनमें आपसी सन्तुलन रखना जहां आवश्यक है वहीं बहुत ही नाजुक भी है। अनुच्छेद 200 की व्याख्या करते समय यह तो कोर्ट ने माना है कि राज्यपाल के लिये बिलों पर निर्णय की सीमा नहीं है, किन्तु यह कह दिया कि अनिश्चितकाल तक निर्णय को रोकना जाना भी उचित नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में कोर्ट का दखल संविधान की गतिशीलता के लिये आवश्यक है, इस प्रकार संविधान पीठ ने लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं को गतिरोध के चक्करों में फंसेने से बचाने का प्रयत्न किया है। लोकतंत्र की गतिविधियों में चैक व बेलेंस होना आवश्यक है ताकि शक्ति का संचालन में केन्द्रीकरण का खतरा न हो सके। संविधान पीठ ने अपने साहसिक, ज्ञानवर्धक तथा प्रतिभाशाली निर्णय और भविष्य की सुरक्षा के लिये अपनी कलात्मक अनिश्चितकारी टिप्पणी से राहत तो देती; किन्तु अपने स्वयं के लिए एक बड़ी आफत को भी जन्म दे दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं अनुच्छेद 21 में शब्द ‘स्पर्म’ की व्याख्या करते हुये माना है कि स्पर्म यानी जीवन की गरिमा के लिये न्याय सस्ता, सुलभ व त्वरित होना आवश्यक है, किन्तु देश के नागरिकों को त्वरित न्याय से सर्वथा वंचित दिखाई देते हैं। न्यायालय के प्रत्येक व्यवहार में विलम्ब हो रहा है। वर्षों से मुकदमें लम्बित हैं। फैसलों ही इंतजार ही में जीवन लीला समाप्त हो जाती है। जानमत्त की अर्जियां तक फैसलों की प्रतीक्षा में दिखाई देती है। जेल में सजा काट रहे कैदियों की अपील, सजा समाप्ति तक निर्णित नहीं होती। सिविल के मुकदमों का निर्णय पोतों के जीवन में भी हो जायेगा, इसकी सम्भावना नहीं है। न्याय सुलभ भी नहीं है और न्याय मंहगा भी बहुत है। कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों की फीस लाखों रूपये प्रति पेस्री तक है।

न्याय त्वरित नहीं है, सही है; किन्तु न्याय के सुलभ तथा शीघ्र निस्तारण के लिये न्यायालय कोई कारगर कदम भी नहीं उठा रही है।

राजस्थान हाईकोर्ट का कार्य पुराने नियमों के अनुसार ही हो रहा है। नये रूल बनाने में ही वर्षों का समय लगने के बाद भी, लागू तक नहीं किये गये हैं। डिजिटलाईजेशन का उपयोग व प्रयोग कोई संतोषजनक गति नहीं पा सका है।

संविधान की पीठ ने तमिलनाडू के केस के सम्बन्ध राष्ट्रपति द्वारा पूछे गये 14 प्रश्नों का उत्तर special reference no.1of 2025 में संविधान पीठ ने दिनांक 20.11.2025 को दिया है और उसमें स्पष्ट शब्दों में पेरा nंo 165.3 में कहा है कि न्यायालय को उन परिस्थितियों जिनका उल्लेख ऊपर कहा गया है कोर्ट सीमित mandamus जारी कर सकती है। अतः प्रश्न उठाय़ा जा सकता कोर्ट के कार्य में विलम्ब के विषय में कितनी mandamus के हेतु याचिकायें पेश होंगी सोचकर ही सिर चकरा जायेगा।

Sir का प्रश्न संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग से सम्बन्ध रखता है, जिसे निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण के सम्पूर्ण अधिकार संविधान ने दिये अनुच्छेद 324 में दिये हैं अर्थात् इस विशेष पर चुनाव आयोग का निर्णय, न्यायिक समीक्षा से परे है। यदि हम संविधान पीठ के उत्तर की पृष्ठभूमि पर उसे लागू करें तो सम्भव है सभी याचिकायें justiciable नहीं रहेंगी। इसके अतिरिक्त भी निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का अनुच्छेद 329 में वर्जन है।

सत्यमेव जयते!
–अतिथि सम्पादक
पानाचन्द जैन, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाईकोर्ट

प्रदेश का सड़क तंत्र बन रहा मजबूत

विकास, विश्वास और सुगमता की नई राह पर राजस्थान



अलका सक्सेना

राजस्थान आज अपने विकास यात्रा के उस दौर में है, जहां सड़कें केवल गंतव्य तक पहुंचने का माध्यम नहीं रही, बल्कि वे प्रगति, समृद्धि और सुशासन की सशक्त पहचान बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सड़कों के व्यापक नेटवर्क को विस्तार देने, गुणवत्ता सुधारने और सुगमता बढ़ाने का जो अभियान शुरू किया है, उसने प्रदेश के बुनियादी ढांचे को एक नई गति प्रदान की है। ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी क्षेत्रों तक, राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर गांवों की गलियों तक, हर दिशा में विकास का पहिया गति पकड़ चुका है।

राजस्थान में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने अब तक 24,976 करोड़ की राशि व्यय कर 36,140 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर उल्लेखनीय

कीर्तिमान स्थापित किया है। यह उपलब्धि केवल संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि यह सरकार के उस विजन का परिणाम है जिसमें हर नागरिक तक सुगम, सुरक्षित और तेज़ आवागमन की सुविधा पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में सड़कों के विकास हेतु 12,391 कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अंतर्गत 28,600 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के विकास के लिए 14,816 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों ने न केवल ग्रामीण अंचलों की काया पलट दी है, बल्कि वहां के लोगों के जीवन स्तर में भी अभूतपूर्व सुधार लाया है। अब तक 1,564 गांव और बसावटें सड़कों से जुड़ चुकी हैं। साथ ही 3,543 किलोमीटर लंबाई की ‘मिसिंग लिंक’ सड़कों के लिए 1,328 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे पहले से कटे या दुर्गम क्षेत्रों में भी विकास की राह खुली है।

इसी तरह, 327 अटल प्रगति पथों के निर्माण के लिए 813 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय व्यापार को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब गांव केवल खेती तक सीमित नहीं, बल्कि तेज़ी से विकास के केंद्र बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 22 माह से अधिक के कार्यकाल में राज्य राजमार्गों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है।

सवालों के उत्तर मिलने चाहिए/सवाल कई हैं



रचना सिद्धा

पिछले दिनों दो खबरें प्रमुखता से अखबार में दिखी और कई दिनों तक चली। न केवल प्रिंट मीडिया में बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। आज इक्कीसवीं सदी के आधुनिक और सभ्य कहे जाने वाले समाज में दो बेटीयों की जीवनलीला देहेज के दानव ने समाप्त कर दी। पहली खबर उत्तर प्रदेश की है और दूसरी खबर राजस्थान की। उत्तर प्रदेश में बेटी को जला कर मार डाला गया और राजस्थान में बेटी ने स्वयं आग लगाकर आत्महत्या कर ली और साथ में अपनी तीन साल की बच्ची को भी मार डाला। दोनों ही दुर्घटनाओं की विस्तृत छानबीन चल रही है। परंतु प्रथम दृष्टया दोनों ही मामले देहेज हत्या के बताए जा रहे हैं। इन दोनों दुर्घटनाओं के बारे में पढ़कर मन में कई तरह के सवाल उठते हैं।

पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की दुर्घटना की। निक्की जिसकी मौत हुई उसकी बड़ी बहन की शादी भी उसी घर में हुई। दोनों बहन के साथ साथ

जेठानी देवरानी भी थीं। निक्की को सात साल का एक बेटा भी है। कहा जा रहा है कि निक्की को उसके बच्चे के सामने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। बच्चे ने भी पुलिस को बयान दिया है कि मम्मा को पापा ने लाट्टर से जला दिया। यह सब जब हो रहा था तब निक्की की सास भी अपने बेटे का साथ दे रही थीं। निक्की की बड़ी बहन ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की पर उसे भी मारा पीटा गया। बड़ी बहन ने बताया कि निक्की के साथ देहेज को लेकर अक्सर पार पीट होती थी। शादी के समय लड़के वालों की हर फरमाईश पूरी की गई और शादी के बाद भी अक्सर उनकी मांग आती रही जिसे निक्की के माता पिता ने किसी भी तरह हिंसा और देहेज के मामले में पुलिस की जहां सरकारी स्थूल दर्ज करा रहे हैं तो क्या इस मामले में वे भी उतने ही दोषी नहीं हैं जबकि वे उनकी देहेज की मांग को लगातार पूरा कर रहे थे। क्या उनके खिलाफ भी मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए जबकि देहेज लेना और देना दोनों ही कानून की नजर में अपराध माना गया है।

निक्की के पास हुनर था उसने क्यों नहीं अपने हुनर के साथ उस घर को छोड़ दिया जहां उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। वैसे ही संजु के पास सरकारी नौकरी थी उसने क्यों नहीं आवाज उठाई और अपने सम्मान और जीवन के लिए संघर्ष क्यों नहीं किया। कुछ सवाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ सवाल

समाज की सोच को लेकर और कुछ सवाल पीहर वालों के अपनी बेटीयों के प्रति फिक्र को लेकर सहज ही उठ जाते हैं। शिक्षा क्या केवल कितानी ज्ञान देने का का नाम है। कहा जाता है शिक्षा से सबलता आती है पर दोनों ही स्थितियों में पढ़ी लिखी लड़कियां अपनी आत्मरक्षा के लिए खड़ी नहीं हो पाईं। या क्या सबलता का अर्थ लड़कियों का नौकरी पा लेना भर है?

फिर ऐसी शिक्षा का क्या फायदा? क्यों शिक्षा ने उन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना नहीं सिखाया। क्यों शिक्षा से उन्हें यह समझदारी नहीं मिल पाई कि देहेज और लड़कियों में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है? क्यों उन्हें देहेज विरोधी और घरेलू हिंसा विरोधी कानून के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई जिससे वे अपनी आत्मरक्षा के लिए कदम उठा पातीं?

हम समाज क्या कहेंगा इस बारे में बहुत सोचते हैं और समाज में आज भी लड़कियों को लेकर अलग विचार प्रचलित हैं। आज भी समाज में आमतौर पर लड़कियों को मरणा दर्जे का माना जाता है। हालांकि कई जगह स्थितियां बदल रही हैं इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता परंतु एक आम धारणा आज भी लड़कियों को ससुराल में समझौता करना ही सिखाती है ससुराल के लोगों के साथ निभाकर चलना ही सिखाती है। फिर इस निभाकर चलने में लड़कियों के आत्मसम्मान और आत्मरक्षा की बात कहीं पीछे छूट जाती है। देहेज हत्या के लिए ससुरालवालों के साथ साथ पीहर वाले भी उतने ही जिम्मेदार माने जाने

– रचना सिद्धा, लेखक

यूरिया खाद लेने किसानों की भीड़ उमड़ी

■ सुबह से खाद के लिए कतार में खड़े लोगों का दोपहर तक नंबर नहीं आया, जिससे लोगों ने आक्रोश जताया, मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी

समिति पर खाद की आपूर्ति पहुंचते ही किसानों की भीड़ लग गई। वहां सुबह 10 बजे तक करीब 300 से अधिक किसान लंबी कतारों में खड़े होकर

सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीजलों की दुकान पर किसानों की लाइन लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला

सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीजलों की दुकान पर किसानों की लाइन लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला

सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीजलों की दुकान पर किसानों की लाइन लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला

सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीजलों की दुकान पर किसानों की लाइन लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला

सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीजलों की दुकान पर किसानों की लाइन लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला

सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीजलों की दुकान पर किसानों की लाइन लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला

सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीजलों की दुकान पर किसानों की लाइन लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला

सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीजलों की दुकान पर किसानों की लाइन लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला

सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीजलों की दुकान पर किसानों की लाइन लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला

सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीजलों की दुकान पर किसानों की लाइन लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला

सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीजलों की दुकान पर किसानों की लाइन लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला

सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीजलों की दुकान पर किसानों की लाइन लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला

सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीजलों की दुकान पर किसानों की लाइन लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला

सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीजलों की दुकान पर किसानों की लाइन लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला

सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीजलों की दुकान पर किसानों की लाइन लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला

सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीजलों की दुकान पर किसानों की लाइन लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला

सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीजलों की दुकान पर किसानों की लाइन लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला

सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीजलों की दुकान पर किसानों की लाइन लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला

सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीजलों की दुकान पर किसानों की लाइन लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला

सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीजलों की दुकान पर किसानों की लाइन लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला

सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीजलों की दुकान पर किसानों की लाइन लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला

सेवा सहकारी समिति केंद्र पर गुरुवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लोग पहुंच गए। केंद्र नहीं खुला उससे पहले ही वहां किसानों की कतार लग गई थी। उपखंड में यूरिया की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में खाद आते ही खाद डीजलों की दुकान पर किसानों की लाइन लग जाती है। जानकारी के अनुसार थामला